न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 07/2018

1. रामजीलाल पुत्र श्रीचन्द
2. रामस्वरूप पुत्र चन्दर
3. रमेश पुत्र रंगलाल
4. भगवती पुत्र रामहेत
5. पृथ्वी पुत्र रामहेत
6. शिवसिंह पुत्र रामहेत
7. माया पुत्री रामहेत
8. टूण्डा पुत्र चिम्मन जातियान मीना निवासीयान ग्राम दलीतपुरा, तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. माफी मन्दिर पून्यार्थ मन्दिर ठाकुरजी वाके करौली व अहतमाम पुजारी रघुवीर पुत्र गज्जूराम जाति ब्राह्मण निवासी पेटोली तहसील व जिला करौली

रेस्पोटेंडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली
मु0न0 8/2014 निर्णय दिनांक 30.11.17)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की ओर से श्री लियाकत अली
2. रेस्पोडेंटान की ओर से श्री लीलाधर चतुर्वेदी

निर्णय दिनांक 30.01.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0न0 8/2014 निर्णय दिनांक 30.11.2017 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/सायलान की ओर से प्रार्थनापत्र 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 130, 206 वाके ग्राम दलीलपुरा तहसील करौली में स्थित है जों सायल मंदिर ठाकुरजी के जेरखाता व कब्जे काश्त की रही है। भूमि की देख रेख हेतु पूर्व में पन्ना व उसका लडका नथुआ करते थे उन दोनो पुजारियो का देहान्त करीब 20 साल पूर्व हो गया है। नथुआ लाबन्द मर गया तो मैं सायल रघुवीर विवादित आराजी एवं मंदिर की देखभाल करीबन 19–20 साल से कर रहा हूँ इस आराजी की आमद से मंदिर का खर्चा चलाता हूँ। गैरसायलान का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। मंदिर श्री ठाकुरजी एक परपीच्यूल माईनर है जिसकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को मालिकान हक प्राप्त नहीं हो सकते है। गैरसायलान सहजोर एवं लडाकू किस्म के व्यक्ति है तथा सायल मंदिर की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। आये दिन गैरसायलान भूमि पर खडी फसलो को मवेशियों को चराकर नष्ट कर देते है। गॉव में इनका भारी आतंक है। मौके पर गेहूँ व सरसो की हरी फसल खडी हुई है दिनांक 23.01.

Scanned by CamScanner

2014 को गैरसायलान मौके पर आये तथा मुझसे यह कहा कि गेहूँ व सरसो की फसल बहुत अच्छी है उसको हम काटकर ले जायेगे। गैरसायलान से काफी मना किया गया किन्तु वे हिंसा पर उतारू हो गये और मुझे धमकी देकर मौके से भगा दिया गया। इस प्रकार से गैरसायलान को विवादित आराजीयात में फसलों के लाभ उठाने देने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक है साथ ही सरकारी कागजात से यह आराजी मु0 थांपा व टूण्डी के नाम बतौर खातेदार 1/2–1/2 हिस्से के चड गये है। टुण्डी मर चुका है। उसके वारिस के रूप मे उसकी विधवा गुल्लो को दर्ज दावा किया जा रहा है। गैरसायलान सहजोर एवं लडाकू किस्म के व्यक्ति है तथा सायल मंदिर की आराजीयात जिस पर सायल काश्त करता है उसे गैरसायल आये दिन नष्ट कर देते है खडी हुई फसल को मवेशी चरवा देते है। गांव मे गैर सायलान का भारी आंतक है। दिनांक 23.1.14 को गैरसायलान मौके पर आये तथा सायल मुझ पुजारी से कहा कि अब के गेहूँ व सरसो की फसल बहुत अच्छी है इसे हम काटकर ले जावेगे। सायल द्वारा मना करने पर गैरसायल हिंसा करने पर उतारू हो गये और सायल को माके से भगा दिया। गेरसायलान विवादित आराजीयात से फसलो के लाभ उठाने मे मुझ सायल को परेशान करेगे। अतः गेरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अभिलिखित किया है कि यह अपील अपीलांट द्वारा सहायक कलेक्टर करौली के निर्णय दिनांक 30.11.17 के विरूद्व पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा माना है तथा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह निष्कर्ष निकाला है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 130, 206 मुताविक जमाबंदी सम्वत 2066–69 के खाता संख्या 43 में मु0 धापा बेवा नथोली हिस्सा 1/2 टुण्डी पुत्र जुगलिया हिस्सा 1/2 कौम चमार साकिन देह पेटोली (देवताओ) से संबंधित जोत के नाम खातेदारी में दर्ज है, जहॉ पर सायल का कथन है कि यह भूमि पूर्व में माफी मंदिर पून्यार्थ ठाकुरजी के नाम थी जो गलती से जुगला पुत्र हीरा कौम चमार के नाम दर्ज कर दी गई है जो गलत है परन्तु यहॉ पर जमाबंदी सम्वत 2015 से 34 वाके ग्राम दलीपुर के खाता संख्या 45 व 46 में भूमि माफी पून्यार्थ मंदिर श्री ठाकुरजी वाके करौली अहतमाम पुजारी नथुआ पुत्र पन्ना कौम निवासी पेटोली के नाम थी किन्तु उपकृषक एवं खुद काश्त के रूप में जुगला पुत्र हीरा कौम चमार निवासी पेटोली के

Scanned by CamScanner

नाम रही है जो बाद में जुगला के फौत हो जाने पर उनके वारिसो के नाम वर्तमान चली आ रही है। राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र एवं निर्णय के मतानुसार मंदिर की भूमि के खालशा दर्ज होने के बाद तथा उपकृषक को खातेदारी प्राप्त होने के बाद पुनः उस भूमि को मंदिर के नाम दर्ज नहीं की जा सकती साथ ही जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार उपकृषक के नाम ही भूमि की खातेदारी रहेगी किन्तु इस प्रकरण में सायल माफी पून्यार्थ मंदिर ठाकुरजी वाके करौली में अपने आपको पुजारी मानते हुए प्रकरण पेश किया गया है। वहॉ पर जो प्रकरण में गैरसायलान दर्ज किये गये जो सभी जाति से मीना है जबकि संवत् 2015 की जमाबंदी में जुगला पुत्र हीरा खुद काश्त की खातेदारी में दर्ज हुयी है। सायल एवं गैरसायल के बीच विवाद होने पर थाना कुडगांव मे रिपोर्ट दर्ज होने पर प्रकरण की जॉच करने पर विवादित आराजी को जुगला पुत्र हीरा के वारिसान जो जमाबंदी मे हाल खातेदार दर्ज है। उनके द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रमांक 258 व 313 दिनांक 10.11.71 व 3.1.72 को विवादित आराजीयात को इन खातेदार द्वारा गेरसायल न0 1 ता 5 के बुर्जग को विक्रय कर दिया है जो अनुसूचित जाति से अनुसूचित जन जाति के मध्य हुआ है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। भूमि पर मुताबिक जबाब प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र तथा पुलिस मे दिये गये बयानो के अनुसार भूमि पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो का कब्जा है। जहॉ तक मंदिर माफी की जमीन का सवाल है वहॉ पर सायल द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य के रूप मे जमाबंदी की नकल पेश नही की गई जिससे यह साबित हो सके कि माफी मंदिर कभी खुदकाश्त की भूमि रही है। तथाकथित मात्र मौखिक तथ्यो के आधार पर भूमि पर कब्जा नही माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व धारा 175 के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिये है जबकि 212 आर टी एक्ट के प्रार्थना पत्र मे इस तरह के आदेश नही दिये जा सकते हे। दावा विचाराधीन है। दावे के निर्णय के पश्चात ही न्यायालय को निष्कर्ष निकालना चाहिए था इस कारण उक्त हद तक न्यायालय के आदेश को निरस्त फरया जावे। रेस्पो0 द्वारा भूमि ख0न0 130 व 206 के संबंध मे गलत रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि से मंदिर का कोई लेना देना नही है। ना ही मंदिर का तथाकथित पुजारी रघुवीर है। रेस्पो0 के पक्ष मे प्राईमाफेसी केश व सुविधा का संतुलन भी नही है ना ही अपूर्णनीय क्षति है। वर्तमान मे विवादित भूमि के प्रतिवादीगण 6 व 7 खातेदार है । गैरसायलान द्वारा वर्ष 1971–72 मे उक्त भूमि खातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है तभी से आज तक गैरसायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। बिना कब्जे के आधार पर टी आई जारी नही की जा सकती है। भूमि ख0न0 130 व 206 से मंदिर श्री ठाकुरजी का कोई सबंध नही है। विवादित भूमि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत खालसा दर्ज हो गई थी तथा सन 1952 से पूर्व जुगल पुत्र हीरा उक्त भूमि के उपकृषक थे । उपकृषक होने के नाते जागीर पुर्नग्रहण 1952 की धारा 9 के तहत जुगल पुत्र हीरा जो उक्त भूमि

Scanned by CamScanner

का खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा जुगल पुत्र हीरा के मरने के बाद नामा0 संख्या 19 जो विरासत का खोला गया था उसके धापा बेवा नथोली हिस्सा 1/2, टुण्डीराम, जुगला हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज कर दी। मंदिर का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 उक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 4/1 ता 4/3 तथा 5 ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। तभी से कब्जा चला आ रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। मूर्ति शास्वत नाबालिग है का सिद्वान्त भी इस केस पर इसलिए चस्पा नही होता कि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत उक्त भूमि को खालसा दर्ज कर प्रतिवादीगण के पिता जुगला पुत्र हीरा को खातेदार घोषित कर दिया गया था। खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की आड मे बेकब्जा नही किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय: समय पर जारी परिपत्रो मे यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि एक बार खालसा दर्ज हो जाने पर भी पुनः उस भूमि को मदिर के नाम दर्ज नही की जा सकती है। राज्य सरकार का परिपत्र दिनांक 24.5.07 के अनुसार जागीर भूमियो मे खातेदार अधिकार जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रांरभ होने के समय राजस्व अभिलेखो मे एक खातेदार पटटेदार खादिमदार के रूप मे या किसी अन्य रूप मे जिसमे यह अर्न्तनिर्हित हो काश्तकार को काश्तकारी मे आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है ऐसी अधिकार प्राप्त होते रहेगे। और वह ऐसी भूमि के सबंध मे काश्तकार कहलाएगा तथा जागीरो के अधिग्रहणो के समय मंदिर माफी की जो भूमि किसी व्यक्ति के खादिमदार पटटेदार आदि के नाम दर्ज थी उनको उत्तराधिकार योग्य है। ऐसी भूमियो को मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही है। राज्य सरकार का परिपत्र दिनांक 25.11.11 के अनुसार राज0भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि के खालसा दर्ज होने के बाद तथा उपकृषक के नाम खातेदारी दर्ज होने के बाद उस भूमि को पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता है। इस अनुसार राजस्व मंडल तथा जागीर कमिश्नर जयपुर द्वारा जारी परिपत्रो मे भी यही माना है। इस प्रकार उक्त भूमि को मंदिर के नाम दर्ज किया जाना उचित नही है। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के समय मंदिर के हक मे एन्यूटी जारी कर दी गई थी तथा एन्यूटी के जरिये मंदिर के भोग विलास एवं खर्चे की जिम्मेंदारी सरकार ने अपने उपर ले ली थी। ऐसी स्थिति मे भूमि को मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि के तन्हा खातेदार है। जिनको प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की आड मे बेदखल नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.आर 2000(2) पेज 121, आर.एल.आर. 2000(1) पेज 595, आर.एल.आर. 1990(1) पेज 161, 2002 आर.बी.जे. पेज 69, 2006 (2) आर.आर.टी. पेज 1448, ए.आई.

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

30.1.20

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

आर. 2015 राज0179 फुल बैंच , आर.एल.आर. 2000 (1) 69 राज0, माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय सिविल अपील संख्या 16638/2012 , 5853/14 निर्णय दिनांक 30.6.14 रामकरण बनाम स्टेट आफ राज0 पेश है।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अभिलिखित किया कि विवादित आराजीयात माफी मंदिर पुण्यार्थ मंदिर ठाकुर जी वाके करौली की रही है। जो राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। इस भूमि से अपीलांटान का कोई सबंध वास्ता नही है। विवादित आराजीयात मंदिर की होने के कारण अपीलांटान को इस भूमि के सबंध मे किसी प्रकार का हक जताने व कब्जा करने का कोई हक नही है। केवल मात्र खेती करने व कब्जा करने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। विवादित भूमि मंदिर की होने के कारण भी जमीन का विक्रय करना भी शून्य है। अपीलांटान लठ्ठ के जोर पर उक्त जमीन को हडपने पर आमादा है। जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांटान द्वारा जो जबाब पेश किया गया है वह सत्यापित नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जो ज़बाब पेश किया गया है वह न्यायालय को गुमराह करने के उद्वेश्य से पेंश किया गया है। मंदिर की भूमि पर अपीलांटान का कोई कब्जा काश्त नही है। अपीलांटान द्वारा ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नही किया है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण अपना हक और अधिकार माफी पुण्यार्थ मंदिर ठाकुर जी की जमीन पर रखते हो। प्रतिवादीगण द्वारा जो जबाब पेश किया गया है वह आधारहीन और असंगत है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन दावे एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे प्रस्तुत किये गये जबाब मे भिन्नता है दोनो ही जबाब विरोधाभासी है। अपीलांटान द्वारा अनाधिकृत एवं अवैध रूप से माफी पुण्यार्थ मंदिर ठाकुर जी की जमीन पर कब्जा करने और हडपने की कोशिश की जा रही है। अपीलांटान ने विवादित आराजीयात को किसी अनुसूचित जाति से स्टाम्प पेपर पर क्रय करना बताया है जबकि विधि अुनसार ही अनुसूचित जाति की जमीन को अनुसूचित जनजाति का सदस्य क्रय नही कर सकता है। इस प्रकार अपीलांटान गलत आधार पर मुकदमा लड रहे है। अपीलांटान को माफी पण्यार्थ मंदिर ठाकुर जी की उक्त जमीन के सबंध मे विधि एवं कानून के प्रावधानो के अनुसार अपील पेश करने का अधिकार नही है। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अपीलांटान माफी मंदिर की जमीन पर एक प्रकार से अतिक्रमी की श्रेणी मे आते है जो लठ्ठ के बल पर उसे हडपना चाहते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान को दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है जो विधि अनुरूप किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है साथ ही इस प्रकार के अवैध विक्रय के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही करने हेतु लिखा है। भू प्रबंध सेटलमेंट विभाग राज0 राज्य जमाबंदी ग्राम दलीलपुर तहसील करौली की सम्वत 2015 से 2033 के अनुसार ख0न0 130 इनाम रकबा 4 बीघा 4 विस्वा और ख0न0 206 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा जमीन माफी पुण्यार्थ मंदिर ठाकुर जी वाके

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर
30/1/22

Scanned by CamScanner

करौली व महन्तनाम पुजारी नथुआ बल्दं पन्ना कौम ब्राहम्ण निवासी पटौली दर्शाया है। वर्तमान जमाबंदी मे भी भूमि देवताओ के नाम और देवताओ से संबंधित जोत बताया है। इससे स्पष्ट है कि भूमि माफी मंदिर पुण्यार्थ ठाकुर जी की है। सरपंच ग्राम पंचायत सायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार सेवा पुजा रघुवीर पुजारी करना स्पष्ट करता है। इसी प्रकार देवस्थान विभाग करौली द्वारा पुजारी रघुवीर के पक्ष मे सेवा पूजा प्रमाण पत्र दिनांक 28.7.05 को जारी किया गया है। इस प्रकार अपीलांट का यह कहना गलत है कि रघुवीर उक्त माफी मंदिर का पुजारी नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे। न्यायिक दृष्टांत 2018 (1) आर आर टी पेज 541, 2019(1) आर आर टी पेज 377, 2019 (1) आर आर टी पेज 686, 2018 (2) आर आर टी पेज 143, 2019 (1)आर आर टी पेज 692 प्रस्तुत किये है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2066–69 वाके ग्राम दलीलपुर तहसील करौली के खतौनी संख्या 43 पर विवादित आराजीयात ख0न0 130 व 206 मु0धापा बेवा नथोली हिस्सा 1/2 टुण्डी पुत्र जुगल्या हिस्सा 1/2 कोम चमार सा0 पाटोली (देवताओ से संबधित जोत) दर्ज है। इससें स्पष्ट है क़ि यह भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के नाम दर्ज है। मीमो आफ अपील के मद न0 4 अपीलार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी है उक्त भूमि पर अपीलांट का 1960 से पूर्व का ही कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी भूमि पर काबिज है। अपील मीमो के मद न0 5 मे कथन किया है कि अपीलांट को कोई अवैध विक्रय नही हुआ है स्वयं सब रजिस्ट्रार द्वारा बयनामा पंजीकृत किया गया है। इसका तात्पर्य है कि विवादित आराजी का बेचान अपीलार्थीगण को किया जा चुका है। अपीलार्थीगण मीना जाति के है जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत यह अभिलिखित किया गया है विक्रय, दान और वसीयत पर साधारण निर्बन्धन– ऐसा विक्रय , दान या वसीयत , अनुसूचिंत जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष मे जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो, या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष मे हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो। विवादित आराजी को अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो को किया गया अन्तरण अविधिक है। अवैध रूप से अन्तरण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.17 को दिये गये आदेश मे तहसीलदार करौली को अवैध विक्रय के विरूद्व उक्त अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने के आदेश दिये गये है व गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। यह आदेश पूर्णतया विधि संगत है। इसके अतिरिक्त तहत न्यायालय द्वारा अपने विवेचन मे विवादित भूमि का माफी मंदिर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

को साबित करने हेतु सायल/रेस्पो0 को स्वतंत्र किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज करना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली का मु0न0 8/2014 निर्णय दिनांक 30.11.17 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 15:04:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: